

## निविदा की शर्तें

निर्माण कार्यों में नियोजित पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को सिलाई मशीन की आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

- 1- सिलाई मशीन के तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के पृथक-पृथक सील बन्द लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर दिनांक : 20.06.2016 के अपराह्न 05:00 बजे तक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के कार्यालय में रखे गये ड्राफ्ट बाक्स में जमा कराया जायेगा, प्राप्त समस्त निविदाओं में से सर्वप्रथम तकनीकी निविदा दिनांक 21.06.2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सार्वजनिक रूप से उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख विभागीय निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेंगी, जिसके सफल होने पर ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।
- 2- निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपया 568/- (रूपया 500 + 13.5% वैट) तथा धरोहर धनराशि रूपया 4,00,000/- (रूपया चार लाख मात्र) जमा किया जाना आवश्यक होगा। इनको जमा न करने की दशा में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा अस्वीकार कर दी जायेगी।
- 3- धरोहर की धनराशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी के पदनाम से बनवाया गया होना चाहिये तथा हल्द्वानी में देय होना चाहिये। किसी अन्य माध्यम से धनराशि जमा नहीं की जायेगी तथा निविदा भी स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 4- निविदादाता व्यक्ति/फर्म का विगत 02 वर्ष का टर्न ओवर प्रति वर्ष रूपया 70 लाख से कम नहीं होना चाहिए। (बैलेन्स शीट संलग्न किया जाना आवश्यक है)
- 5- क्रय की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत लगभग रूपया 2 करोड़ सम्भावित है।
- 6- निविदा की शर्तें दोनों ही पक्षों को मान्य होंगी तथा इसे माना जाना दोनों हेतु बाध्यकारी होगा।
- 7- निविदादाता फर्म के पास फाईनेन्सियल विड में अंकित की गई सिलाई मशीन निर्माता कम्पनियों की 01 वर्ष पुरानी डीलरशिप होनी आवश्यक है, जिस कम्पनी की आपूर्ति हेतु निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा रही है।



सहायक श्रम आयुक्त  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी.

- 8- सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 9- उपरोक्त सामग्री को आवश्यकता अनुसार विभिन्न पर्वतीय जिलों में स्थित श्रम कार्यालयों-अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टनकपुर, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, रूद्रप्रयाग, कोटद्वार तथा गोपेश्वर (चमोली) (समस्त पर्वतीय एवं अर्ध पर्वतीय जिले) में पहुँचाना होगा।
- 10- निविदादाता को वित्तीय निविदा में अंकित किये गये विवरणानुसार सम्पूर्ण मूल्य सहित निविदा प्रस्तुत करनी होगी। कुल न्यूनतम मूल्य तथा गुणवत्ता के अनुसार ही न्यूनतम निविदा डालने वाली फर्म को आपूर्ति हेतु चयनित किया जाएगा।
- 11- सम्पूर्ण सामग्री की दरें उपरोक्त स्थानों पर आपूर्ति करने के लिये देनी होंगी। किसी भी प्रकार से अलग से कोई किराया, लोडिंग/अन्लोडिंग चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई कर या अन्य किसी भी प्रकार की कोई धनराशि अलग से नहीं दी जायेगी अर्थात् सामग्री की दरों में ही इन सब का समावेश किया हुआ माना जायेगा।
- 12- निविदादाता को वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा जमा करते समय पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति जमा किया जाना आवश्यक होगा।
- 13- निविदादाता/फर्म का आयकर दाता होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 14- निविदा में उल्लिखित सामग्री की बाजारी दरें ज्ञात करने के लिए श्रम आयुक्त द्वारा गठित समिति के माध्यम से मार्केट सर्वे भी किया जा सकता है तथा निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों की उससे तुलना की जा सकती है। यदि निविदा के माध्यम से प्राप्त दरें, मार्केट सर्वे के माध्यम से प्राप्त दरों से अधिक होंगी तो न्यूनतम निविदा डालने वाली फर्म से निगोशियेशन किया जाएगा तथा आपसी सहमति से दरें कम कराई जायेंगी और उसे लगभग बाजारी दरों पर लाया जाएगा।
- 15- निविदादाता को निविदा फार्म जमा करते समय सामग्री का एक सैम्पल जमा करना आवश्यक होगा, सैम्पल पैकेट में निविदादाता का नाम व पता उल्लिखित होना चाहिये। निविदा स्वीकृत होने पर सैम्पल के रूप में जमा की गई यह सामग्री कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी तथा कार्यादेश जारी किये जाने पर इसी सामग्री के अनुरूप/इसी प्रकार की विशिष्टियों वाली सामग्री की आपूर्ति की जायेगी। सामग्री में किसी प्रकार की खराबी पाये जाने/कम गुणवत्ता की पाये जाने की दशा में आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य में प्रथम




सहायक श्रम आयुक्त  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी.



बार में 20% की कटौती की जायेगी, दोबारा ऐसा होने पर आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य में 25% तक धनराशि की कटौती कर ली जायेगी। तीसरी बार ऐसा करने की दशा में आपूर्ति की गई सामग्री के 50% धनराशि की कटौती करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म/व्यक्ति को आगामी पांच वर्षों के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

- 16- निविदा अस्वीकार होने की दशा में या स्वीकार न होने की दशा में धरोहर राशि तथा सैम्पल के रूप में जमा की गई सामग्री वापस कर दी जायेगी।
- 17- स्वीकृत निविदा की दरें दिनांक 31.03.2017 तक के लिये वैध होंगी, विशेष परिस्थिति में इसे दोनों पक्षों की सहमति से अधिकतम 03 माह तक यानि दिनांक 30.06.2017 तक बढ़ाया जा सकेगा।
- 18- श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 19- सामग्री का आई०एस०आई० मार्क होना आवश्यक होगा, जिसके आई०एस०आई० मार्क होने का स्पष्ट प्रमाण भी संलग्न करना होगा। निविदादाता का कम्पनी सिंगर/ऊषा का अधिकृत डीलर होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 20- निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निविदा की शर्तें पूर्ण न करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 21- निविदा का प्रस्तुतिकरण निविदादाता द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही किया जाएगा।
- 22- निविदादाता के ब्लैक लिस्टेड न होने, आपूर्ति विषयक विवाद या विधिक कार्यवाही न होने, आपराधिक कार्यवाही न होने के संबंध में शपथ-पत्र दिया जाना आवश्यक होगा।

23- किसी भी विवाद की दशा में सक्षम प्राधिकारिता के हल्द्वानी स्थित न्यायालय द्वारा वाद का विचारण किया जा सकेगा।

  
सहायक श्रम आयुक्त  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी.